न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 35 / 2021

अनिल गोयल पुत्र मुकुट बिहारी लाल गोयल निवासी मोरी चार बाग भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 11.05.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट अनिल गोयल पुत्र मुकुट बिहारी लाल गोयल निवासी मोरी चार बाग भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2021 प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 326 दिनांक 19.04.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक 3174 दिनांक 28.04.2021 के द्वारा जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जवाब पत्र कमांक 3174 दिनांक 28.04.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचनाऐं उनके कार्यालय से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है किन्तु वांछित

—2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

सूचना प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर को अन्तरित किया गया है। इस क्रम में अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर ने पत्रांक 6104 दिनांक 22.03.2021 से अपीलान्ट को सूचित किया है कि "नजूल सम्पतियों की रजिस्ट्री एवं पट्टे उनके कार्यालय से संपादित नही किये जाते है।" किन्तु अपीलान्ट की सूचना नजूल सम्पत्तियों से सबंधित होने के कारण अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का ही है। अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर द्वारा जो सूचना पत्रांक 6104 दिनांक 22.03.2021 से अपीलान्ट को भेजी गई है, वह संतोषप्रद प्रतीत नहीं होती है। यदि वांछित सूचना उनके कार्यालय से सबंधित नहीं है तो वे अपीलान्ट को सूचित करें कि चाही गई सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जानी है। ऐसी स्थिति में प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के विरूद्ध अपीलान्ट की यह अपील खारिज की जाती है। अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सही सूचनाऐं उपलब्ध करावें।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर तथा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर को प्रेषित की जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर